

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

गिरजा चौधरी एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या- 248/2018

[के साथ आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या- 52/2018]

01 सितंबर 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र प्रकाश सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ताओं को उनकी बहू (मुन्नी देवी) की उनके ससुराल में हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 120(बी) के तहत दी गई सजा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, विशेष रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रकाश में, कायम रह सकती है।

हेडनोट्स

परिस्थितिजन्य साक्ष्य श्रृंखला [पैरा 9-12 का संदर्भ]: अभियोजन पक्ष का मामला : - मृतक की हत्या अपीलार्थी के घर (वैवाहिक घर) में धारदार हथियार (* पसुली *) से की गई थी। - उद्देश्य: अपीलकर्ता की बेटी (रूबी देवी) को संपत्ति हस्तांतरण पर विवाद, जिसका मृतक ने विरोध किया। चिकित्सा साक्ष्य (*अ.सा. 8, प्रदर्श 2*) ने अभियोजन पक्ष के सिद्धांत के अनुरूप गर्दन में घातक चोटों की पुष्टि की।

बचाव अस्वीकृत : - चोरी का दावा (सीढ़ी मिली) खारिज कर दिया गया: (i) जबरन प्रवेश का कोई संकेत नहीं (अ.सा. 1 और अ.सा. 9 के अनुसार घर बरकरार है); (ii) सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कोई स्पष्टीकरण नहीं (*वासा चन्द्रशेखर राव बनाम पोन्ना सत्यनारायण*, (2000) 6 एससीसी 286)।

धारा 106, साक्ष्य अधिनियम [पैरा 11-12 का संदर्भ]: - लागू त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य ((2006) 10 एससीसी 681): - अपीलकर्ताओं पर यह दायित्व आ जाता है कि वे अपने घर में हुई मृत्यु के बारे में स्पष्टीकरण दें ("विशेषकर उनकी जानकारी में")। - अपीलकर्ता निम्नलिखित में विफल रहे: (i) अपराध की रिपोर्ट करें; (ii) चिकित्सा सहायता प्रदान करना; (iii) ठोस स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें (सवित्री सामंतराय बनाम ओडिशा राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 673)।

उद्देश्य और आचरण [पैरा 10-12 का संदर्भ]:- उद्देश्य*: संपत्ति विवाद (मृतक ने रूबी देवी को हस्तांतरण का विरोध किया) अ.सा. 1 की गवाही के माध्यम से स्थापित हुआ।- अप्राकृतिक

आचरण- अपीलकर्ताओं ने पुलिस को सूचित नहीं किया (मृतक के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर); - मृतक को लावारिस छोड़ दिया (खून का तालाब)। - उद्धृत प्रेम सिंह बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) ((2023) 3 एससीसी 372): मकसद परिस्थितिजन्य श्रृंखला को मजबूत करता है। मेडिकल और फॉरेंसिक पुष्टिकरण [पैरा 11 का संदर्भ]: अ.सा. 8 (डॉक्टर): गर्दन पर धारदार हथियार की चोट के कारण मृत्यु (प्रदर्श-2)।- नेत्र संबंधी और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच कोई विरोधाभास नहीं।

न्याय दृष्टान्त

त्रिमुख मारोती किर्कन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एससीसी 681; वासा चन्द्रशेखर राव बनाम पोन्ना सत्यनारायण (2000) 6 एससीसी 286; साबित्री सामंतराय बनाम ओडिशा राज्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 673; प्रेम सिंह बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2023) 3 एससीसी 372

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 302/34, 120 बी) ; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (धारा 106)
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (धारा 313)

मुख्य शब्दों की सूची

परिस्थितिजन्य साक्ष्य, धारा 106 साक्ष्य अधिनियम, वैवाहिक हत्या, उद्देश्य, अप्राकृतिक आचरण

प्रकरण से उत्पन्न

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, गया (सत्र परीक्षण संख्या 60/2016) द्वारा दिनांक 30.11.2017 को दिए गए निर्णय में वजीरगंज पीएस केस संख्या 357/2015 में अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए : श्री बिपिन कुमार और श्री अजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
राज्य के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, एपीपी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2018 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.248

थाना काण्ड सं .-357 वर्ष-2015 थाना-वजीरगंज जिला-गया से उद्भूत

गिरजा चौधरी, पिता- स्व. जागो चौधरी उर्फ स्व.जावर चौधरी,निवासी- गाँव प्राणपुर,थाना-
 वजीरगंज, जिला गया।

... .. अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता

के साथ

2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 52

थाना काण्ड सं.-357 वर्ष-2015 थाना-वजीरगंज जिला-गया से उद्भूत

धन्नौ देवी, पति- गिरजा चौधरी, निवासी- ग्राम-प्राणपुर, थाना- वजीरगंज, जिला गया।

... .. अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

... उत्तरदाता

उपस्थिति :

(2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 248 और 2018 की आपराधिक याचिका (खं.पी.) संख्या 52 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए	:	श्री बिपिन कुमार, अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
उत्तरदाता के लिए	:	श्री अभिमन्यु शर्मा, अ.लो.अ

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र प्रकाश सिंह

सी. ए. वी. निर्णय
(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह)
दिनांक 01-09-2023

आपराधिक अपीलें दोषसिद्धि के समान निर्णय दिनांक 30.11.2017 और सजा के आदेश दिनांकित 06.12.2017, से उद्भूत होती हैं। इसलिए उन्हें एक साथ सुना गया है और इस समान निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. दोनों आपराधिक अपीलें श्री सच्चिदानंद सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, गया द्वारा वजीरगंज थाना काण्ड संख्या 357/2015 से उद्भूत सत्र परीक्षण संख्या 60/2016 (ए.न्या)/34/2016 में पारित दिनांक 30.11.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 06.12.2017 के सजा के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके तहत दोनों आपराधिक अपीलों के अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (जिसे आगे 'आई.पी.सी' संदर्भित किया गया है) के तहत दोषी ठहराया गया है और उन्हें आई.पी.सी की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए प्रत्येक पर 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा। अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) के तहत अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएँ साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

3. अभियोजन पक्ष का कांड, सूचक केदार चौधरी (अ.सा.-1) की लिखित प्रतिवेदन के अनुसार, जिसे पुलिस उपनिरीक्षक संतोष कुमार, वजीरगंज थाने द्वारा 25.08.2015 को सुबह लगभग 5:45 बजे प्राणपुर गाँव में मृतक के शव के पास, आरोपी गिरजा चौधरी के घर में दर्ज किया गया था, जिसमें सूचक ने कहा था कि

उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी, मुन्नी देवी की शादी लगभग 20 साल पहले गाँव प्राणपुर, थाना वजीरगंज, जिला गया के गिरजा चौधरी के बेटे सतेंद्र चौधरी से की थी। शादी के बाद, उनकी बेटी मुन्नी देवी अपने पति के साथ ससुराल में रह रही थी और शादी से उनकी बेटी को एक बेटा हुआ, जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी। उनकी बेटी की एक ननद है, जिसका नाम रूबी देवी है, जो स्वर्गीय विनोद चौधरी की पत्नी है, गांव- दधा, थाना- फतेहपुर, जिला गया की निवासी है। उनकी बेटी के ससुर अपनी बेटी रूबी देवी को जमीन और घर देना चाहते थे। इसलिए सूचक की बेटी ने हमेशा इस लेन-देन का विरोध किया। इसलिए गिरजा चौधरी, रूबी देवी और उसके ससुराल वाले सूचक की बेटी को प्रताड़ित करते थे और पीटते थे और वे उसे जान से मारने की धमकी देते थे और हमला करने के बाद उसे ससुराल से बाहर निकाल देते थे। उनकी बेटी मुन्नी देवी ने उनसे इस मामले की शिकायत की। यह आगे आरोप लगाया गया है कि 24.08.2015 को, उनके दामाद सतेंद्र चौधरी और उनकी नाती, निगम कुमार छात्रवृत्ति लेने के लिए उनके गांव आए थे और उनकी बेटी मुन्नी देवी अकेले गांव प्राणपुर में अपने ससुराल में रह रही थी। 24/25.08.2015 की रात को लगभग 12 /1 बजे उनकी बेटी के ससुर गिरजा चौधरी ने मोबाइल फोन से सूचना दिया कि उनके घर में चोरी हुई है और उनकी बेटी की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई है। जानकारी प्राप्त करने के बाद, वे 20-25 लोग के साथ सुबह-सुबह गाँव प्राणपुर पहुँचे, फिर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की गर्दन काट दी गई थी और वह अपने ससुराल में मृत अवस्था में एक खाट पर लेटी हुई थी। सूचक का दावा है कि उसकी बेटी की हत्या उसके ससुर गिरजा चौधरी, सास धन्नो देवी, दोनों गांव प्राणपुर, थाना वजीरगंज, जिला गया के निवासी, उसकी ननद रूबी देवी और रूबी देवी के भैंसुर, नामतः उमेश चौधरी, दोनों गांव दधा के निवासी, थाना फतेहपुर, जिला गया, अन्य 3-4 अज्ञात उपद्रवियों के साथ जमीन और मुन्नी देवी के ससुराल में हिस्सेदारी हड़पने की साजिश के साथ की गई थी और वे झूठा आरोप

लगा रहे हैं कि घर में चोरी हुई थी, जबकि घर की सभी चीजें वे ठीक हैं और कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। इसलिए सूचक का दृढ़ विश्वास है कि उसकी बेटी मुन्नी देवी की हत्या उपरोक्त अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पासुली से गला काटकर की गई थी।

4. सूचक की उपरोक्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर, 2015 का वजीरगंज थाना कांड सं .357 दर्ज किया गया था। जांच पूरा होने के बाद, पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया और उसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया और उसके बाद कांड सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे जिन पर अपीलार्थियों ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

5. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कुल दस साक्षियों , केदार चौधरी-सूचक (अ.सा.1), सुनीता देवी (अ.सा.2), नीता देवी (अ.सा.3), शांति देवी (अ.सा.4), निगम कुमार (अ.सा.5), रामाशीष चौधरी (अ.सा.6), मुंशी राजवंशी (अ.सा.7), डॉ. सुनील कुमार प्रसाद (अ.सा.8), दारोगा चौधरी (अ.सा.9) और सतेंद्र चौधरी (अ.सा.10) से पूछताछ की। अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श 1 (फर्दबयान पर सूचक केदार चौधरी के हस्ताक्षर), प्रदर्श 2 (मृतक मुन्नी देवी की शव परीक्षण प्रतिवेदन), प्रदर्श 3 (सूचक केदार चौधरी का फर्दबयान), प्रदर्श 4 (औपचारिक एफ. आई. आर .) के रूप में भी प्रदर्श प्रस्तुत किए हैं। बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। मुकदमे के समापन के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को ऊपर बताए गए तरीके से दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि तत्काल अभियोजन पक्ष का मुकदमा कई त्रुटियों से ग्रस्त है जिन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है और इसलिए, आक्षेपित निर्णय कानून की नजर में कायम रखने योग्य नहीं है। यह

प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी को कथित अपराध से जोड़ने के लिए अभिलेख पर कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। इसके अलावा, उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अ.सा. 1, अ.सा. 5 और अ.सा. 6 ने घटनास्थल पर एक सीढ़ी देखी है, जो इंगित करता है कि घर में चोरी हुई है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस प्रकार, अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री के अभाव में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष कानूनी रूप से गलत है, तथ्यों पर गलत है, कानूनी तर्क से रहित है, योग्यता से रहित है और दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश दरकिनार किए जाने के योग्य हैं।

7. दूसरी ओर, राज्य के लिए विद्वान अ.लो.अ ने प्रस्तुत किया है कि दोषसिद्धि के निर्णय और चुनौती के तहत सजा के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम रहा है। उनके द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच अधिकारी (अ.सा. 9) को घटना के कथित स्थान पर न तो कोई सीढ़ी मिली है और न ही चोरी का कोई संकेत मिला है। इसके अलावा, जिस तरह से पीड़ित की मौत की गई थी, वह शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श 2) से पुष्टि करता है। यह तर्क दिया गया है कि घटना की तारीख को मृतक का पति और बेटा घर में मौजूद नहीं थे और केवल आरोपी व्यक्ति वहां मौजूद थे और इस तरह उन्हें अपनी बहू को मारने का मौका मिला। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, जब अपराध मृतक के ससुराल में किया गया है, जहां अपीलकर्ता और मृतक एक साथ रह रहे थे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपीलकर्ताओं पर यह स्पष्ट करने का भारी दायित्व था कि पीड़ित को इतनी गंभीर चोटें कैसे आईं और उसकी मृत्यु कैसे हुई। और उसकी मृत्यु के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला

अभियोजन पक्ष द्वारा बहुत अच्छी तरह से साबित की गई है। इस प्रकार, परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं रहता है और अपीलार्थियों का अपराध विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा संतोषजनक रूप से साबित हुआ है और विद्वान विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।

8. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई तर्कों को सुनने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री की गहन जांच करने के बाद, वर्तमान अपील में निम्नलिखित मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

- (I) क्या इस बचाव पक्ष पर विचार किया जा सकता है कि चोर ने चोरी की थी और अपीलार्थियों की बहू (मृतक) की हत्या कर दी थी?
- (II) क्या अपनी बहू की अप्राकृतिक मृत्यु के बारे में पुलिस को सूचित नहीं करने में अपीलार्थियों का आचरण उचित है?
- (III) क्या अपीलकर्ताओं ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आलोक में अपने घर में अपनी बहू की मृत्यु के बारे में अपना बोझ उठाया है?

9. मुद्दा संख्या 1 के संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि जांच अधिकारी(अ.सा.9) ने अपनी मुख्य परीक्षण के कंडिका संख्या 1 में यह बयान दिया था कि उन्होंने घटनास्थल अर्थात् अपीलकर्ताओं के घर की जांच की थी जो खपरैल (खपरा) से बना था और कमरे में सभी चीजें व्यवस्थित पाई गईं, एक मचान (रैक) भी मिला जिसमें सभी घरेलू सामान रखे हुए थे। इसके अलावा, अ.सा. 1 और जांच अधिकारी (अ.सा. 9) ने अपनी जांच में यह बताया कि घर की टाइल (खपरा) भी बरकरार पाई गई थी। इसलिए, उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि कोई भी चोर अपीलकर्ताओं के घर में प्रवेश नहीं किया है और चोरी नहीं की है और यह आरोपी व्यक्ति ही थे जो केवल उस घर में मौजूद थे जहां मृतक मृत पाया गया थी ।

इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए बयान के संबंध में, अपीलकर्ताओं ने यह बताया

हुए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उनकी बहू की हत्या कैसे की गई, उन्होंने अपने घर में चोर के आने या चोरी करने का भी उल्लेख नहीं किया है। इस मोड़ पर, **वासा चंद्रशेखर राव बनाम पोन्ना सत्यनारायण** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देना प्रासंगिक है (2000) 6 एससीसी 286, जिसमें यह टिप्पणी की गई थी कि:

“यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब इन परिस्थितियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी से पूछताछ के माध्यम से सामने रखा गया था, तो आरोपी ने केवल इससे इनकार किया और इस तरह का इनकार आरोपी के खिलाफ आरोप को घर लाने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी होगी।”

इसलिए, अपीलकर्ताओं का यह कर्तव्य था कि वे धारा 313 के तहत बयान देते समय उनके खिलाफ साबित हुई दोषपूर्ण परिस्थितियों की व्याख्या करें और जब उनके सामने दोषपूर्ण परिस्थितियाँ रखी गई थी तो कोई स्पष्टीकरण देने में अपीलार्थियों की ओर से ऐसी विफलता उनके खिलाफ आरोपों को बनाए रखने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी है। इसलिए, उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, यह स्पष्ट है कि न तो जांच अधिकारी को चोरी का कोई संकेत मिला है और न ही अपीलकर्ताओं द्वारा धारा 313 दं.प्र.सं के तहत ऐसा कोई बचाव किया गया है।

तदनुसार, मुद्दा सं. I में फैसला नकारात्मक में किया जाता है।

10. मुद्दा सं. II, के संदर्भ में। यह पाया गया है कि बचाव पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि ससुराल वालों (अपीलकर्ताओं) ने अपनी ही बहू की उसके ससुराल में हत्या के बारे में पुलिस को सूचित करने के लिए कोई सक्रिय कदम उठाया

था। बल्कि, यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक के पिता ने एफ. आई. आर. दर्ज करवाया। इसके अलावा, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक के ससुराल वालों के रूप में भी उसे खून से लथपथ छोड़ दिया था, यहां तक कि उसे अस्पताल ले जाने की भी जहमत नहीं उठाई थी। अपीलकर्ताओं की ओर से ऐसा आचरण काफी अप्राकृतिक प्रतीत होता है और इस परिकल्पना के अलावा कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है कि वे दोषी हैं। इस प्रकार, यह आगे अपीलकर्ताओं के अपराध की ओर इशारा करते हुए साक्ष्य की श्रृंखला प्रस्तुत करता है।

तदनुसार, मुद्दा सं. II को नकारात्मक में तय किया जाता है।

11. मुद्दा सं. III, के संदर्भ में। अभियोजन पक्ष के गवाहों के फर्द बयान और बयान से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता और उनकी बहू (मृतक) उसी घर में रहते हैं जहां मृतक की हत्या की गई थी। इस प्रकार, इस तथ्य के आलोक में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का भार वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं पर पड़ता है क्योंकि उनके घर में हत्या के संबंध में तथ्य विशेष रूप से उनकी जानकारी में हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य** मामले में (2006) 10 एससीसी 681 में दिए गए निर्णय पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा, जिसमें यह कहा गया था कि:

“14. यदि कोई अपराध किसी घर की निजता के भीतर और ऐसी परिस्थितियों में होता है तो जहाँ हमलावरों को अपनी पसंद के समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और करने का पूरा अवसर मिलता है, वहाँ अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करना बेहद मुश्किल होगा यदि न्यायालयों द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर जोर दिया जाता है, जैसा कि ऊपर देखा गया है। एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता नहीं करता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए। एक न्यायाधीश यह देखने के

लिए भी अध्यक्षता करता है कि एक दोषी व्यक्ति बच न जाए।कानून अभियोजन पक्ष को ऐसे चरित्र के साक्ष्य का नेतृत्व करने का कर्तव्य नहीं देता है जिसका नेतृत्व करना लगभग असंभव है या किसी भी तरह से नेतृत्व करना बेहद मुश्किल है। अभियोजन पक्ष का कर्तव्य ऐसे साक्ष्य का नेतृत्व करना है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करने में सक्षम हो। यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखना आवश्यक है जिसमें कहा गया है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।

15. जहाँ हत्या जैसा अपराध किसी घर के अंदर गोपनीयता में किया जाता है, मामले को स्थापित करने का प्रारंभिक बोझ निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप स्थापित करने के लिए उनके द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उसी स्तर की नहीं हो सकती है। जैसा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक है। बोझ तुलनात्मक रूप से हल्का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखते हुए घर के निवासियों पर एक ठोस स्पष्टीकरण देने का बोझ होगा कि अपराध कैसे किया गया था। घर के निवासी केवल चुप रहकर और इस कथित आधार पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देकर भाग नहीं सकते हैं कि अपने मामले को स्थापित करने का बोझ पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और कोई भी स्पष्टीकरण देने का कोई कर्तव्य आरोपी पर नहीं है।”

इसलिए, उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में और मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, जिसमें अपीलकर्ताओं के घर की गोपनीयता में मृतक की मृत्यु कर दी गई थी, इस न्यायालय की राय है कि घटनाओं की श्रृंखला साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आवेदन को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, साबित्री सामंतराय बनाम ओडिशा राज्य मामले में पारित निर्णय पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा 2022 एससीसी

ऑनलाइन एससी 673 में रिपोर्ट किया गया, जहाँ कंडिका संख्या 19 में,माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी की है कि

“इस प्रकार, हालाँकि धारा 106 का उद्देश्य किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष को अभियुक्त का अपराध सिद्ध करने के भार से मुक्त करना नहीं है,यह उन मामलों पर लागू होता है जहाँ अभियोजन पक्ष द्वारा घटनाओं की श्रृंखला सफलतापूर्वक स्थापित की गई हो, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध एक उचित निष्कर्ष निकाला गया हो। इसके अलावा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में,जब भी अभियुक्त से कोई आपत्तिजनक प्रश्न पूछा जाता है और वह या तो उत्तर देने से बचता है, या ऐसा उत्तर देता है जो सत्य नहीं है, तो ऐसा उत्तर अपने आप में घटनाओं की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है।”

उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह ध्यान दिया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागू करने के लिए, पहले यह विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या घटनाओं की श्रृंखला अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित की गई है या नहीं। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष पहले ही साबित कर चुका है कि अपीलार्थियों का आचरण काफी संदिग्ध और अप्राकृतिक है, और यह तथ्य कि मृतक की हत्या उसके ससुराल यानी अपीलकर्ताओं के घर में की गई थी, अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक स्थापित किया गया है।

इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है, जैसा कि फर्द बयान और अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयान में कहा गया है कि अपीलकर्ता अपनी संपत्ति अपनी बेटी (रूबी देवी) को देना चाहते थे और मृतक (बहू) ने हमेशा इस लेनदेन का विरोध किया, इसलिए अपीलार्थी उसे प्रताड़ित करते थे, उसे पीटते थे और उसे मारने की धमकी भी देते थे। **प्रेम सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)** के मामले में (2023) 3 एस. सी. सी. 372 में प्रतिवेदित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया

था कि जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य साबित होता है, तो यह परिस्थितियों की श्रृंखला में अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है।

इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि चिकित्सा साक्ष्य भी कथित घटना की पुष्टि करते हैं क्योंकि डॉक्टर (अ.सा. 8) ने चिकित्सा प्रतिवेदन (प्रदर्श 2) में कहा है कि उसके दाहिने कान, दाहिने कंधे, बाईं तर्जनी, ठोड़ी और गर्दन पर पूर्व-शव परीक्षण की चोटें तेज काटने वाले भारी हथियार के कारण होती हैं और उसकी मृत्यु गर्दन पर चोटों के कारण होती है। तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष इस प्रकार अपराध करने के लिए अपीलकर्ताओं के इरादे को स्थापित करने में सफल रहा था। इस तरह के इरादे का, जब अपीलकर्ताओं के घर पर मृतक को लगी घातक चोटों के आलोक में विश्लेषण किया जाता है, तो निश्चित रूप से एक मजबूत मामला सामने आता है कि मृतक की मृत्यु वास्तव में अपीलकर्ताओं के कारण हुई थी। इसलिए, अभियोजन पक्ष ने घटनाओं की श्रृंखला को सफलतापूर्वक स्थापित किया था और इसे अन्यथा साबित करने का बोझ अपीलार्थियों पर था, लेकिन अपीलकर्ताओं ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संबंध में कोई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और अपीलार्थियों की ओर से ऐसी विफलता घटनाओं की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाएगी।

तदनुसार, मुद्दा सं. III को नकारात्मक में तय किया जाता है।

12. तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, जैसा कि अभिलेख पर रखा गया है और उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि घटनाओं की श्रृंखला में विभिन्न परिस्थितियों ने अपीलकर्ताओं के निर्दोष होने की उचित संभावना को दरकिनार कर दिया है। उपरोक्त परिस्थितियों को जब संचयी रूप से एक साथ लिया जाता है, तो यह आसानी से

अनुमान लगाया जा सकता है कि घटनाओं का पूरा क्रम दृढ़ता से अपीलकर्ताओं के अपराध की ओर इशारा करता है, और अपीलकर्ता इस संबंध में कोई विश्वसनीय बचाव करने में विफल रहे हैं। इस प्रकार, हम विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

13. तदनुसार, दोनों आपराधिक अपीलों को अपास्त कर दिया जाता है और 2015 के वजीरगंज थाना काण्ड से उद्धृत 2016 (ए.न्या)/34 के सत्र मुकदमे में श्री सच्चिदानंद सिंह, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश 1, गया द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश 2015 के वजीरगंज थाना काण्ड से उद्धृत होता है।

14. चूंकि 2018 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं .52 की अपीलकर्ता धन्नो देवी जमानत पर हैं, इसलिए उनके जमानत बांड अपास्त कर दिए गए हैं। विद्वान विचारण न्यायालय को अपीलकर्ता को शेष सजा काटने के लिए जेल हिरासत में भेजने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।

(सुधीर सिंह, न्यायमूर्ति)

(चंद्र प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)

नरेंद्र/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।